फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला–उदयपुर

प्रार्थी : श्रीमती धापु | **विपक्षी : सरपंच ग्राम पंचायत मांगथला**

किस्म मुकदमा – 75 भू.रा. अधिनियम | **पत्रावली संख्या : 02/20**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 12.11.2022

पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत कैम्प में पेश हुई। अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित। रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर पूर्व में इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता अपीलान्ट् की बहस पर मनन किया। नामान्तरकरण सं. 476 का अवलोकन किया। अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील मय धारा 5 अवधि अधिनियम के तहत् प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रकरण में अपीलान्ट के पति शंकर पिता भूरा की मृत्यु के बाद विरासत से अपीलान्ट के पुत्र पवन व हेमराज के नाम बालिग की हैसियत से दर्ज कर दी गई, जबकि नामान्तरकरण दिनांक 22.03.2010 के समय पवन व हेमराज थे, जिसकी जानकारी पटवारी हल्का से जमाबन्दी की नकल प्राप्त करने पर हुई। अपीलान्ट द्वारा पवन व हेमराज नाबालिग होने से ग्राम पंचायत द्वारा पारित नामान्तकरण को निरस्त किया जाने का निवेदन किया। पत्रावली के अवलोकन से जानकारी में आते ही अपील प्रस्तुत की हैं जो अन्दर मयाद हैं। अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 अवधि अधिनियम का स्वीकार किया जाता है। उक्त नामान्तरकरण के अवलोकन से नामान्तरकरण ग्राम पंचायत मांगथला द्वारा दिनांक 22.03.2010 को पारित किया गया हैं। अपीलान्ट द्वारा पवन व हेमराज को बालिग बताकर नामान्तरकरण पारित किये जाने से ग्राम पंचायत द्वारा पारित गलत नामान्तरकरण को निरस्त करा पवन व हेमराज के नाम बालिग की हैसियत से दर्ज भूमि को पवन व हेमराज नाबालिग जरिये संरक्षक माता धापू बेवा शंकर दर्ज किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण के अवलोकन से प्रकरण में उक्त नामान्तरकरण ग्राम पचांयत द्वारा पारित किया गया है जिसमें अपीलान्ट के पुत्र को बालिग बताकर शंकर पिता भूरा के नाम की भूमि को अपीलान्ट के पुत्रों के नाम बालिग रूप से दर्ज कर दी गई है। अपीलान्ट द्वारा आयु बाबत् पवन के कक्षा 4 के अंकतालिका की प्रति व हेमराज उर्फ हिम्मत के कक्षा 7 के अंकतालिका की प्रति पेश की, जिसमें पवन की जन्म दिनांक 05.08.2003 व हेमराज उर्फ हिम्मत की जन्म दिनांक 06.01.2007 होना जाहिर आया हैं। अपीलान्ट द्वारा मय शपथ पत्र के अपील प्रस्तुत कर अपने पुत्र पवन व हेमराज नाबालिग बताया हैं। चूंकि प्रकरण में ग्राम पंचायत मांगथला द्वारा नामान्तरकरण संख्या 476 पारित किया है वह त्रुटि पूर्ण हैं जिससे अपीलान्ट को भारी असुविधा का सामना करना पड रहा हैं। ग्राम पंचायत ने उक्त नामान्तरकरण को पारित करने में विधिक भूल की हैं, जिसे सुधारा जाना आवश्यक हैं। अतः उक्त अपील अपीलाण्ट न्यायहित में स्वीकार की जाती है।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती हैं, कि ग्राम पंचायत मांगथला द्वारा पारित नामान्तरकरण सं. 476 दिनांक 22.03.2010 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार मावली को प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में शंकर के पुत्र पवन व हेमराज की आयु सम्बन्धित जांच करते हुए साक्ष्य गवाह बयान आदि के आधार पर नामान्तरकरण पारित करने की कार्यवाही करे। पत्रावली फैसल [illegible] नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2022.11.23 10:42:04 IST
Reason: SelfAttested

(श्रीकान्त व्यास)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली